कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक/ 794 /71/संसं-वि/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल दिनांक 10/5/2022

प्रति,

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी
अग्रणी शासकीय कन्या महाविद्यालय
विदिशा म.प्र. ।

2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय एल.बी.एस. महाविद्यालय
गंज बासौदा म.प्र.

विषयः- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 62 से 65 वर्ष की अवधि में किये कार्य की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 ।

संदर्भः- 1.म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-23/2019/38-3 दिनांक 26.02.20।
2.इस कार्यालय का पत्र कमांक/587/77/आउशि/अनु.ब./20 दिनांक 10.06.2020 ।
3.प्राचार्य, अनुदान प्राप्त एलबीएस महावि. गंज बासौदा का पत्र कमांक 80 दिनांक 21.2.22 ।
4.प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा का पत्र कमांक 604 दिनांक 09.03.2022 ।

---000---

विषयांतर्गत म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 26.2.2020 के अनुक्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 19.06.2020 द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों के 62 से 65 वर्ष की अवधि के वेतन एरियर्स हेतु राशि के आवंटन किया गया था ।

2. इसके संबंध में प्राचार्य,अनुदान प्राप्त अशासकीय एल.बी.एस. महाविद्यालय, गंज बासौदा द्वारा अपने संदर्भित पत्र 21.2.2022 में अंतर की राशि आवंटन करने की मांग और प्राचार्य अग्रणी शासकीय कन्या महावि. विदिशा के संदर्भित पत्र दिनांक 09.03.22 द्वारा अनुशंसा के आधार पर **अनुदान प्राप्त अशासकीय एल.बी.एस.महाविद्यालय गंजबासौदा** को कॉलम-2 उल्लेखित विवरण एवं कॉलम-3 अनुसार अंतर की मांग राशि के अनुक्रम में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 अनुसार राशि आवंटित/स्वीकृत की जाती हैः-

स.क.	विवरण	मांग राशि	स्वीकृत/ आवंटन राशि	अग्रणी महाविद्यालय एवं डी.डी.ओ. कोड
1	2	3	4	5
1	डॉ.ऋषभ कुमार जैन, सेनि सहायक प्राध्यापक को पूर्व में पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि रूपये 9,55,800/- के स्थान पर त्रुटिपूर्ण गणना के कारण राशि रूपये 9,31,132/- का वेतन एरियर्स राशि से समायोजन करने के कारण कम भुगतान की गई अंतर की राशि रूपये 37,323/- की मांग ।	37,323	37323	शास. कन्या महावि., विदिशा 4503802001
	योग		**37323**	

निरंतर...2

Scanned with CamScanner

3. उपरोक्त कॉलम-4 अनुसार आवंटित राशि **रूपये 37,323/- (रूपये सैंतीस हजार तीन सौ तेईस मात्र)** का आहरण कॉलम-5 में उल्लेखित अग्रणी महाविद्यालय के डीडीओ कोड से बजट शीर्ष 044-2202-03-104-0102-3444-42-002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकलनीय होगी । तदानुसार राशि संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के डीडीओ कोड में आवंटित/अपलोड की की गई है।

4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी वित्त संहिता के नियम 175-176 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये राशि का आहरण एवं भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

5. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

7. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश है। पूर्व वर्षो में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।

8. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

9. उक्त आवंटन राशि में से संबंधित अधिकारी को देय राशि का मिलान उनको प्राप्त पेंशन का संबंधित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर उससे मिलान करने के पश्चात ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी वित्त संहिता के नियम 175-176 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये राशि का आहरण एवं भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

9. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/संस्था की होगी।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डी.एस.हाड़ा)
संयुक्त संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 9/5/2022

पृ. क्रमांक 795/71/संसं-वि/आउशि/अनु.ब./22
प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च, शिक्षा,भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ. न्यायालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा भोपाल।
8. संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय एलबीएस महाविद्यालय,गंजबासौदा मध्यप्रदेश ।

........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

9/5/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner